INDIA भारत FIVE RUPEES पाँच रुपये

492

§श्री§ निगरानीक्र. /2016

नि. 2709-PBR-16

श्री .... द्वारा आज दि. 11-8-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8/16
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

§1§- मांगीलाल पिता बगदीरामजीवर्मा आयु 56साल
§2§- सुरेश पिता मांगीलालजीवर्मा आयु 36 साल
§3§-संतोष पिता मांगीलालजीवर्मा आयु 33 साल
सभी निवासीयान ग्राम करमदी तह. व जिला
रतलाम म.प्र. - प्रार्थीगण

विरूद्ध

गिरधारीलाल पिता वरदाजी वर्मा आयु 72साल
धंधा पेंशनर निवासी ग्राम करमदी तहसील व
जिला रतलाम म.प्र. - प्रतिप्रार्थी

यह निगरानी श्रीमान तहसीलदार महोदय§ शहर § रतलाम द्वारा प्र.क्र. 6-अ-70/08-09 मे पारित आदेश दिनांक 6.6.2016 से असंतुष्ट होकर भू.रा.सं. की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत है।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की ओरसे निम्न वजुहातो पर निगरानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है:-

सक्षेप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि- प्रार्थीगण गिरधारीलाल ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. का तहसीलदार महोदय, शहर रतलामके समक्ष प्रतिप्रार्थीगण मांगीलाल आदि के विरूद्ध इस आशय काप्रस्तुत कियाकि ग्राम करमदी तहसीलव जिला रतलाम मे दिलीपनगर रोड पर स्थित भूमि सर्वे क्र. 387/3 रकबा 0.020 हेक्टर जिसे प्रार्थी ने मकान बनाने के लिये क्रय की. और कुछ भूमिपर मकान का निर्माण भी कर लिया है। दिनांक 30.6.06 को प्रार्थीने राजस्व निरीक्षक मे सीमांकन करवाया जिसे

XXIX(a)-BR(H)-11

(492)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2709-पीबीआर/16 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	